महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) का ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रभाव (चित्रकूट जिले के कर्वी विकासखण्ड के विषेश सन्दर्भ में)

डॉ0 वी0 एस0 परिहार
एसोसियेट प्रोफेसर
व्यवसाय एवं प्रबन्ध संकाय
म0गा0चि0ग्रा0विवि0 चित्रकूट सतना म0प्र0

संपूर्णानन्द शुक्ल
शोधार्थी
म0गा0चि0ग्रा0विवि0 चित्रकूट सतना म0प्र0

सारांश— **'मनरेगा' भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के रूप में संचालित की जा रही रोजगार गारण्टी में देश को आर्थिक मंदी के संकट से बचा लिया। जिसने जॉबकार्डधारकों की कयशक्ति में वृद्धि की है। मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड धारकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रति परिवार सुनिश्चित किया गया है। अत आजीविका की बडी चिन्ता से मुक्ति भी मिली है। मनरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए तथा पर्यावरण सन्तुलन में सुधार लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है। अतः मनरेगा विकास नहीं अपितु स्थायी विकास की धारणा पर आधारित है।**

प्रस्तावना

'मनरेगा' सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। आजादी के बाद से ग्रामीण बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख समस्या रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाये गये जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले किन्तु जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या की भयावहता कम नहीं हुई है। कृशि के मशीनीकरण के कारण कृशि कार्य में संलग्न लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। जिसके कारण ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। गांवों में अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने रोजगार की गारण्टी देने का एक अनूठा कानून बनाया जिसे अन्ततः महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के नाम से पुकारा गया। जिसे प्रारम्भ में 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में लागू कर 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया । इस कार्यक्रम में वर्श में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिल जाने से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक असमानता कम करने में मदद मिल रही है।

मनरेगा की विषेशताएं

क्षेत्रों के लिए जल निकासी हेतु बाढ नियन्त्रण एवं संरक्षण कार्य, जल संरक्षण एवं जल संभरण, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य हेतु सिंचाई नहरों का निर्माण पारम्परिक जलस्रोतों का जीर्णोद्धार इसके अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा परामर्श के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यों को भाामिल किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण सामाजार्थिक जीवनस्तर में वृद्धि हो गांवों से कार्य की तलाश में श्रम का पलायन न हो। ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1—चित्रकूट जनपद के कर्वी विकासखण्ड में मनरेगा लागू होने से पूर्व रोजगार की स्थिति को जानना।
2—चित्रकूट जनपद के कर्वी विकासखण्ड में मनरेगा लागू होने के बाद रोजगार की स्थिति को जानना ।
3—मनरेगा लागू होने के पूर्व एवं बाद ग्रामीण बेरोजगारी के सापेक्ष रोजगार सृजन पर निष्कर्ष निकालना।

अध्ययन के दौरान प्रयुक्त शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का चित्रकूट जनपद के कर्वी विकासखण्ड ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रभाव के सन्दर्भ में निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में एक अनुसूची जॉब कार्ड धारकों के लिए प्रयोग की गई है।

प्रतिदर्श चयन

प्रस्तुत शोधपत्र में चित्रकूट जनपद के कर्वी विकासखण्ड अन्तर्गत कुल 95 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतों का चयन दैव निदर्शन विधि से करने के पश्चात 10 से 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार कर्वी विकासखण्ड में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत 350 जॉबकार्ड धारकों का चयन किया गया है।

समंकीकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा चयनित ग्रामसभाओं से प्राथमिक समंक एकत्रित किए गये हैं। जिसमें समंक एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

शोध का परिणाम

चयनित कर्वी विकासखण्ड से 350 जॉबकार्डधारकों का विवरण पूर्व निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर एकत्रित किया गया है।

सारणी नं0 1
रोजगार की स्थिति (मनरेगा के पूर्व)
(माह में रोजगार के दिनों की संख्या)

वर्ग अन्तराल (दिनों में)	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
0–5	198	56.57
6–10	107	30.57
11–15	39	11.14
16–20	6	1.72
21–25	–	–
26–30	–	–
योग	350	100

चयनित जॉब कार्डधारकों की कर्वी से मनरेगा के पूर्व रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें यह पाया गया कि ज्यादातर 198 ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जिनको मनरेगा के पूर्व अधिकतम 0 से 5 दिनों का रोजगार मिला। जो कुल नमूने का 56.57 प्रति ात है तथा 107 ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जिनको मनरेगा के पूर्व अधिकतम 6से 10 दिनों का रोजगार एक माह के दौरान प्राप्त होता था । जो कुल नमूने का 30.57 प्रति ात होता था। जबकि 39 ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जिनको मनरेगा के पूर्व अधिकतम 11से 15 दिनों का रोजगार एक महीने के दौरान प्राप्त हुआ जो कुल नमूने का 11.14 प्रति ात था। सबसे कम 6 ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जिनको मनरेगा के पूर्व अधिकतम 16 से 20 दिनों का रोजगार एक महीने के दौरान प्राप्त हुआ। जो कुल नमूने का मात्र 1.72 प्रतिशत था।

सारणी नं0 2
रोजगार की स्थिति (मनरेगा के बाद)
(माह में रोजगार के दिनों की संख्या)

वर्ग अन्तराल (दिनों में)	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
0–5	97	27.71
6–10	94	26.85
11–15	87	24.85
16–20	39	11.14
21–25	30	8.45
26–30	–	–
योग	350	100

चयनित जॉब कार्डधारकों की कर्वी से मनरेगा योजना लागू होने के बाद रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें यह पाया गया कि अधिकतम 97 ऐसे जॉबकार्ड धारक हैं जिनको मनरेगा के बाद अधिकतम 1 से 5 दिनों का रोजगार मिला जो कुल नमूने का 27.71 प्रतिशत है। 94 ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जिनको मनरेगा के बाद अधिकतम 6 से 10 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ। जो कुल नमूने का 26.85 प्रति ात था। 87 ऐसे जाब कार्ड धारक हैं जिनको मनरेगा योजना लागू होने के बाद अधिकतम 11 से 15 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ। जो कुल नमूने का 24.85 प्रतिशत है। है। 39 ऐसे जाब कार्ड धारक हैं जिनको मनरेगा योजना लागू होने के बाद एक माह के दौरान अधिकतम 16 से 20 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ। जो कुल नमूने का 11.14 प्रतिशत था। 30 ऐसे जाब कार्ड धारक हैं जिनको मनरेगा योजना लागू होने के बाद एक माह के दौरान अधिकतम 21 से 25 दिनों का रोजगार मिला । जो कुल नमूने का 8.45 प्रति ात है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सारणी नं0–1 व सारणी नं0–2 में प्रदर्शित समंको का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा लागू होने के बाद प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चयनित जॉब कार्डधारकों के रोजगार में वृद्धि हुई है। जहॉ मनरेगा से पूर्व 56.57 प्रतिशत ऐसे जॉब कार्डधारक थे जिन्हें केवल 1 से 5 दिनों का रोजगार मिलता था किन्तु मनरेगा लागू हेाने के बाद कम दिन रोजगार पाने वाले जॉब कार्डधारकों की संख्या में कमी आई। जो 27.71 प्रतिशत हो गई। अतः अधिक रोजगार पाने वालों की संख्या उत्तरोत्तर वर्ग–अन्तराल के साथ विवर्तित होती गयी। जहॉ मनरेगा से पूर्व अधिकतम रोजगार दिनों का वर्ग अन्तराल 16 से 20 था वहीं मनरेगा के बाद अधिकतम रोजगार दिनों का वर्गअन्तराल 21 से 25 तक विवर्तित हुआ। अतः रोजगार के दिनों की संख्या मनरेगा के बाद बढी किन्तु अभी भी प्रयास की आव यकता है। जब तक कम दिनों का रोजगार पाने वाले जॉब कार्डधारक अधिक दिनों का रोजगार न पाने लगें।

सुझाव–

मनरेगा योजना पूरे देश में लागू है यदि सरकार जॉबकार्डधारकों के लिए कार्य की गारण्टी दिन बढा दे एवं दैनिक मजदूरी में भी मंहगाई के सापेक्ष वृद्धि समय–समय पर होती रहे तो जॉब कार्डधारकों का जीवन स्तर में वृद्धि होगी एवं पलायन रूक जायगा। जॉब कार्डधारक गांव में ही कार्य करने को उत्सुक होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- कुरूक्षेत्र (2009) नरेगा –अब गांव में रोजगार, मासिक अंक संस्करण अग्रहायण, पौश, 1931, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली
- कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका) प्रकाशन विभाग सूचना भवन नई दिल्ली
- Parihar V S & Prasad P. mishra, V raghvendra ''राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव'' म0गा0चि0ग्रा0विवि0 चित्रकूट सतना म0 प्र0
- योजना (मासिक पत्रिका) योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली
- प्राथमिक शोध से तैयार अनुसूची
- http//www.gov.in
- http//www.narega.net
- http//www.narega.nic.in